

प्रेषक,

राम नारायण त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय: जनपद बरेली की तहसील आँवला में स्थित पनवडिया निरीक्षण भवन के पुनरोद्धार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5878/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 08-03-2019 एवं शासनादेश संख्या-64/2018/1297/18-27-9-05भवन/18, दिनांक 11-05-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के विभिन्न निरीक्षण भवनों का पुनरोद्धार एवं विस्तार के अन्तर्गत रू0 500.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से जनपद बरेली की तहसील आँवला में स्थित पनवडिया निरीक्षण भवन के पुनरोद्धार परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनव्यवस्था में से द्वितीय किशत की अवशेष धनराशि रू0 42.00 लाख (रूपया बयालिस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करते हैं -

- (1) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों /शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
- (4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
- (7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जायेगा।
- (8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

- (10) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (11) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (12) विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन अपने स्तर से प्राप्त कर लेंगे।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखा शीर्षक-4701-85-051-09-0906-24 के नामे डाला जायेगा।
- 3- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- मुख्य अभियन्ता(बजट) / (अग्रिम नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 4- मुख्य अभियन्ता(नलकूप मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ०प्र०शासन।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।